संख्या 106 /नि०स०/ सचिव (प्र०)/ चि०स्वा०/ 2020

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड ।

**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** **देहरादून : दिनाँक : 27 जनवरी, 2020**

**विषय –एडवायजरी 2019-Novel Coronavirus विषयक।**

महोदय,

जैसा की आप विदित हैं कि वर्तमान में भारत के पडोसी देश चीन में कोरोना वायरस novel coronavirus (nCoV) संक्रमण प्रसारित हो रहा है व नेपाल देश में कोरोना वायरस से संक्रमित एक रोगी की पुष्टि हुई है, चुंकि उत्तराखण्ड राज्य चीन एवं नेपाल दोनों ही देशों से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अतः उत्तराखण्ड राज्य में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना हो सकती है, हालांकि वर्तमान तक भारत वर्ष से किसी भी रोगी की पुष्टि नही हुई है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज दिनांक 27.01.2020 को विडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियन्त्रण की समीक्षा की गयी व दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

**कोरोना वायरस के नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाही की जानी है:–**

- सभी अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त चैक पोस्ट पर स्वास्थ्य टीम को तैनात कर सीमा पार से आने वाले व्यक्तियों को लक्षणों के आधार पर स्क्रीन किया जाये।
- सीमापार से आने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रिपोर्ट किये जाने के लिए सीमान्त चैक पोस्ट पर साईनेज व आई०ई०सी० डिस्पले किया जाये।
- यदि कोई व्यक्ति लक्षणों के साथ पिछले एक माह में चीन देश के भ्रमण अथवा किसी कोरोना वायरस रोगी के सम्पर्क की सूचना देता है, तो उस व्यक्ति को निकटतम चिन्हित आईसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाये। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत दिशा–निर्देश व case definition संलग्न है ।
- उत्तराखण्ड राज्य में संचालित एयरपोर्ट व प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी उपरोक्तानुसार स्क्रीनिंग व जागरूकता की जाये ।
- सीमावर्ती निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रो पर आईसोलेशन की सुविधा उपलब्ध हो और पृथक से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जाये।

220

Scan/NO(IDSP)

28/01/20 महानिदेशक चि० स्वा० एवं प० क० उत्तराखण्ड

2....

- सन्दिग्ध मरीजों के सम्पर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी एवं एम्बुलैंस स्टाफ के लिए एन–95 मास्क उपलब्ध हों।
- आईसोलेशन फैसेलिटी व चैक पोस्ट पर पी0पी0ई0 किट व एन0–95 मास्क की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो।
- यदि कोई सन्दिग्ध रोगी चिन्हित होता है तो शीघ्रातिशीघ्र रोगी का सैम्पल जांच हेतु N.I.V पुणे भेजा जाये।
- सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल, आई0टी0बी0पी0 व अन्य सुरक्षा बलों द्वारा भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक बुलाई जाये व बैठक के माध्यम से कोरोना वायरस को लेकर जनजागरूकता की जाये।
- सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्य–कर्ताओं द्वारा जागरूकता की जाये।
- जनपद स्तर पर पुलिस विभाग द्वारा सीमान्त चैक पोस्ट पर स्वास्थ्य टीम द्वारा स्कीनिंग किये जाने हेतु पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाये व इस कार्य को सुगमता से किये जाने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।
- जो भी पुलिस कार्मिक सन्दिग्ध रोगियों के सम्पर्क में आते है उनके द्वारा एन0–95 मास्क का प्रयोग किया जाये।
- कोरोना वायरस सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त किये जाने एवं प्रदान किये जाने हेतु इन्टीग्रेटैड हैल्प लाईन–104 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**संलग्नक : यथोपरि।**

भवदीय,

**(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)**
सचिव (प्रभारी)

**संख्या : 106 (1–8)/नि0स0/सचिव (प्र0)/चि0स्वा0/2020, तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तरखण्ड।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एयरपोर्ट अथौरिटी, देहरादून, पंतनगर एवं पिथौरागढ़।

27/1/2020

**(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)**
सचिव (प्रभारी)